दिनांक 19.09.2023
प्रेस विज्ञप्ति 21/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कुशीनगर/थाना रामकोला

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 19.09.2023 को थाना रामकोला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर साहबगंज चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त इन्द्रजीत को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रामकोला पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रामकोला पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इन्द्रजीत निवासी फुलवरिया मगरीब थाना रामकोला जनपद कुशीनगर।

जनपद रायबरेली/थाना नसीराबाद

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 19.09.2023 को थाना नसीराबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त अब्दुल जब्बार उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नसीराबाद पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नसीराबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1— अब्दुल जब्बार उर्फ पप्पू निवासी पूरे लोचई थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली।

कमिश्नरेट आगरा/थाना बसई अरेला

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के लगभग 25 लाख रूपये कीमत के भारी मात्रा में सोने–चाँदी के आभूषण**
- **चोरी के 02 लाख 49 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 19.09.2023 को थाना बसई अरेला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गजौरा भट्टे के पास से 02 अभियुक्तों 1–सत्यराम 2–सौरभ को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के लगभग 25 लाख रूपये कीमत के भारी मात्रा में सोने–चाँदी के आभूषण, चोरी के 02 लाख 49 हजार रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15.09.2023 को थाना बसई अरेला क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बसई अरेला पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बसई अरेला पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सत्यराम निवासी स्याहीपुरा थाना बसई अरेला कमिश्नरेट आगरा।

2–सौरभ निवासी पुरा सुताहरी थाना बसई अरेला कमिश्नेरट आगरा।

बरामदगी

1–चोरी के लगभग 25 लाख रूपये कीमत के भारी मात्रा में सोने–चाँदी के आभूषण।

2–चोरी के 02 लाख 49 हजार रूपये नगद।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना मुरादनगर

- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के लगभग 02 कुन्टल एल्यूमीनियम तार**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 18/19.09.2023 को थाना मुरादनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 06 अभियुक्तों 1–जाहिद 2–आफताब 3–इंतजार 4–दिलशाद उर्फ फोनू 5–फिरोज 6–आमिर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के लगभग 02 कुन्टल एल्यूमीनियम तार, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा कमिश्नरेट गाजियाबाद के मुरादनगर, मोदीनगर, लोनी, निवाडी आदि क्षेत्रों के जंगलो से बिजली व ट्रान्सफार्मर के कीमती सामान चोरी की घटना की जाती है। तथा चोरी के सामानों को इकट्ठा कर मौका पाकर बेच देते है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानो में विद्युत अधिनियम आदि के 49 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जाहिद निवासी खुशहाल नगर थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ।

2–आफताब निवासी गालिबपुर थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।

3–इंतजार निवासी इस्लामनगर केला भट्टा थाना कोतवाली गाजियाबाद, मूलपता नूरनगर थाना लिसाडी जनपद मेरठ।

4–दिलशाद उर्फ फोनू निवासी हुसैनपुर थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

5–फिरोज निवासी गोकलपुर थाना भावनपुर जनपद मेरठ।

6–आमिर निवासी सलेमाबाद थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1–चोरी के लगभग 02 कुन्टल एल्यूमीनियम तार।

2–01 मोटर साइकिल।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 19.09.2023 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर न्याजुपुरा बाईपास रोड के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त नावेद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नावेद निवासी ग्राम रूडकली थाना भोपा, जनपद मुजफ्फरनगर ।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद कानपुर देहात/थाना रनिया

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 16 टॉवर के सेल बैटरी**
- **01 पिकअप वाहन बरामद**

दिनॉकः 18.09.2023 को थाना रनिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–अजय उर्फ कल्लू 2–ज्ञानू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 16 टॉवर के सेल बैटरी, 01 पिकअप वाहन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना रनिया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा टॉवर बैट्री चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रनिया पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद बैटरी उक्त घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त अजय उर्फ कल्लू के विरूद्ध जनपद कानपुर देहात, हमीरपुर के विभिन्न थानों पर डकैती, हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रनिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अजय उर्फ कल्लू निवासी विक्रमपुर रायपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।

2–ज्ञानू निवासी विक्रमपुर रायपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी

1–चोरी की 16 टॉवर के सेल बैटरी।

2–01 पिकअप वाहन।

जनपद बाराबंकी/थाना जैदपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 91 लाख रूपये (अर्न्तराष्ट्रीय कीमत) के 915 ग्राम अवैध मारफीन बरामद**

दिनॉकः 19.09.2023 को थाना जैदपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जैदपुर–हरख रोड टिकरा उस्मा मोड़ से अभियुक्त अकबर अली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 91 लाख रूपये (अर्न्तराष्ट्रीय कीमत) के 915 ग्राम अवैध मारफीन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना जैदपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अकबर अली निवासी पनिहल थाना जैदपुर जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–लगभग 91 लाख रूपये (अर्न्तराष्ट्रीय कीमत) के 915 ग्राम अवैध मारफीन।

जनपद बदायूं/थाना उघैती

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद**

दिनॉकः 19.09.2023 को थाना उघैती पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम मवेली भट्टे के पास से 02 अभियुक्तों 1–भूरे उर्फ नन्हे 2–ओमवीर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त भूरे उर्फ नन्हे के विरूद्ध जनपद बदायूं के विभिन्न थानों पर डकैती, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 10 अभियोग व अभियुक्त ओमवीर के विरूद्ध जनपद बदायूं के विभिन्न थानों पर एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना उघैती पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–भूरे उर्फ नन्हे निवासी ग्राम सदरपुर थाना बिल्सी जनपद बदायूं।

2–ओमवीर निवासी ग्राम सदरपुर थाना बिल्सी जनपद बदायूं।

बरामदगी

1–01 किलोग्राम अवैध अफीम।

- **<u>जनपद अमरोहा/थाना गजरौला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 32–32 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना गजरौला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376डी/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–जोगिन्द्र 2–रामपाल 3–मुन्ना 4–तेजपाल को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास व 32–32 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जालौन/थाना कोतवाली कोंच (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना कोतवाली कोंच पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376(3) भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सतीश उर्फ छोटू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 65 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद जालौन/थाना कोतवाली कोंच (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 06 वर्ष के कारावास की सजा व 07 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद जालौन पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जालौन द्वारा थाना कोतवाली कोंच पर पंजीकृत अभियोग में धारा 379/411/420/467/468/471 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त कप्तान सिंह को 06 वर्ष के कारावास व 07 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद इटावा/थाना सिविल लाइन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास की सजा व 01 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 413/414 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अखिलेश उर्फ प्रेम जुल्ला को 05 वर्ष के कारावास व 01 हजार 500 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफः मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अन्तर्राज्यीय गिरोह के 07 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 01.34 कुन्तल गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 34 लाख रूपये) व तस्करी में प्रयुक्त वाहन अशोक लिलैण्ड ट्रक व बलेनो कार बरामद।

दिनांकः 18—09—2023 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अन्तर्राज्यीय गिरोह के 07 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01.34 कुन्तल मादक पदार्थ गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 34 लाख रूपये) व तस्करी हेतु प्रयोग की जा रही 01 अदद अशोक लिलैण्ड ट्रक व बलेनो कार बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1. मानवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोंटी पुत्र भानु प्रताप सिंह, निवासी वैष्णु रायल सिटी 3 ओजोन रोड सिधौली, थाना मऊआ खेड़ा, जनपद अलीगढ़।
2. सौरव कुमार पुत्र स्व0 सुरेश पाल सिंह, निवासी टमकौली, थाना गभाना, जनपद अलीगढ़।
3. अशोक कुमार पुत्र स्व0 धर्मपाल सिंह, निवासी मेथना जगतपुर, थाना औरंगाबाद, जनपद बुलन्दशहर।
4. अविनाश उर्फ काना पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी मडराक थाना मडराक जनपद अलीगढ़।
5. राज कुमार सिंह पुत्र स्व0 रवीन्द्र पाल सिंह, निवासी खानगढ़ी, थाना मऊआ खेड़ा, जनपद अलीगढ़।
6. इबने हसन खान पुत्र वकील अहमद खान, निवासी वार्ड नं0 : 14 ठिरियॉ निजावत खॉं, थाना कैण्ट जनपद बरेली **(ट्रक चालक)**।
7. शारदा प्रसाद उर्फ नन्दू पुत्र स्व0 रामसजीवन निवासी अबेपुर, पोस्ट बैरूआ, थाना सरैनी, जनपद रायबरेली उ0प्र0 **(सह चालक)**

बरामदगीः—

1— 01.34 कुन्तल गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 34 लाख रूपये)।

2— 01 अदद अशोक लिलैण्ड ट्रक नं0 यूपी 25 ईटी 4010

3– 01 अदद बलैनो कार नं0 यूपी 81 सीवाई 5804

4– 08 अदद मोबाइल फोन।

5– नकद 3950/– रूपये।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

दिनांक : 18.09.2023 समय 22.30 बजे। रजखड़ तिराहा, बबलू सिंह कोल डिपो से पहले, थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र।

विगत काफी दिनों से एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को भारत के विभिन्न राज्यों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में दिनांक 18–09–2023 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज की एक टीम जनपद सोनभद्र के दुद्धी थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक व भौतिक सूचना के आधार पर आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से मौजूद थी, इसी दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अवैध मादक पदार्थों की व्यापक स्तर पर तस्करी करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य उड़ीसा से अवैध मादक पदार्थों की बड़ी खेप अशोक लिलैण्ड ट्रक नं0 यूपी 25 ईटी 4010 से लाकर सोनभद्र के रास्ते अलीगढ़ में विक्रय करने हेतु ले जा रहे है। इस सूचना पर विष्वास कर उप निरीक्षक श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, मय हमराह मुख्य आरक्षी संजय कुमार सिंह, संतोष कुमार, रोहित सिंह व आरक्षी किशनचन्द्र मय वाहन सरकारी चालक रविकान्त की टीम रजखड़ तिराहे से रनटोला पर बबलू सिंह कोल डिपो से 300 मीटर पहले पहुँचकर उपरोक्त ट्रक का इन्तजार करने लगे, जहां एक कार आती हुई दिखाई दी जिसे रोका गया तभी पीछे से एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया जिसे रोककर चेक किया गया तो जड़ी बूटी की आड़ में अवैध मादक पदार्थ छिपाकर रखा गया 01.34 कुन्तल गांजा बरामद हुआ तथा मौके पर ही उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूँछताछ की गयी तो ट्रक चालक इबने हसन उपरोक्त द्वारा बताया कि हम लोगों का गांजा तस्करी का एक सक्रिय गिरोह है, जो अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये गांजा उडीसा से लाकर उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों में ऊँचें दामों में बेचा करते हैं। मैं और मानवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोन्टी पुत्र भानु प्रताप सिंह निवासी वैष्णु रायल सिटी 3 ओजोन रोड सिधौली थाना मऊआ खेड़ा जनपद अलीगढ़ से मिलकर कई वर्षों से अवैध गांजे का कारोबार करते आ रहे है जिसे कम रूपये में क्रय कर अधिक दामों में स्थानीय बाजारों में विक्रय करते है तथा जो भी मुनाफा होता है उसे हम लोग आपस में बांट लेते हैं। यह गांजा उड़ीसा से ट्रक में लादकर आ रहे हैं और मानवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोन्टी साथियों के साथ कार से ट्रक के आगे–आगे पायलेटिंग करते हुए चलते हैं। पुलिस को धोखा देने के आशय से अशोक लिलैण्ड ट्रक में रखी जड़ी बूटी की आड़ में अवैध गांजा छिपा कर अलीगढ़ के स्थानीय बाजार व आस पास के क्षेत्रों में खपाने के लिए लेकर जा रहे थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना दुद्धी, जनपद सोनभद्र में मु0अ0सं0–135/2023 धारा–8/20/29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

एस0टी0एफ0–अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की तस्करी करने वाले गिरोह के 04 सदस्य गिरफ्तार, 01 बहुमूल्य रेड सैण्ड बोवा सॉप बरामद।

दिनांक 18–09–2023 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को वन्य जीव तस्करी करने वाले गिरोह के 04 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद बहुमूल्य रेड सैण्ड बोवा सॉप बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्तों का विवरणः

1– रमाशंकर मौर्या पुत्र स्व0 पंचम मौर्या निवासी–17/38 इन्दपुर शिवपुर वाराणसी, उ0प्र0।

2– ओमप्रकाश सिंह पुत्र स्व0 तेजबहादुर सिंह निवासी ग्राम मरहठा, थाना कैम्पियरगंज, जिला गोरखपुर। हाल पता–म0नं0–35 शास्त्री नगर विछिया, थाना शाहपुर, जनपद गोरखपुर।

3— राजाराम पुत्र स्व0 रामसकल यादव, निवासी ग्राम जलालपुर, पोस्ट कनैला, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

4— सैफुद्दीन पुत्र कलामुद्दीन, निवासी—वसन्तपुर सराय, थाना राजघाट, जनपद गोरखपुर।

बरामदगीः

1— 01 अदद बहुमूल्य रेड सैण्ड बोवा सॉप।

2— 04 अदद स्मार्टफोन मोबाइल।

3— 03 अदद की—पैड मोबाइल।

4— 02 अदद आधार कार्ड।

5— 02 अदद पैन कार्ड।

6— 01 अदद श्रम कार्ड।

7— 01 अदद निर्वाचन कार्ड।

8— 01 अदद ड्राइविंग लाईसेंस।

9— 02 अदद ए0टी0एम कार्ड।

10— रुपये 740/—नगद।

गिरफ्तारी का स्थान व समय

आवास ओमप्रकाश सिंह पुत्र स्व0 तेजबहादुर सिंह निवासी म0नं0—35 शास्त्री नगर विछिया, थाना शाहपुर, जनपद गोरखपुर दिनांक 18—09—2023, समय लगभग 17.30 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 ने विगत वर्षों में वन्यजीव अपराधियों के विरूद्ध अभियान चलाकर बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजाति के वन्य जीवों को संरक्षित किया है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकरणों में प्रतिबंधित वन्य जीवों की खाल व हड्डी इत्यादि बरामद करते हुए वन्य जीव अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की गयी।

इसी क्रम में अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची—1 में चिन्हित रेड सैण्ड बोवा सॉप (बोलचाल की भाषा में Two headed Snake) की तस्करी गोरखपुर से नेपाल राष्ट्र को की जाने वाली है। उक्त सॉप

के तस्करी की रोक थाम हेतु पुलिस उपाधीक्षक श्री धर्मेश कुमार शाही के निर्देशन में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई गोरखपुर के निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन किया जा रहा था कि आज दिनांक 18–09–2023 को एस0टी0एफ0 व वन विभाग व WCCB की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए संयुक्त टीम द्वारा उपरोक्त 04 अभियुक्तों को जनपद गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर अभियुक्त रमाशंकर मौर्या उपरोक्त ने बताया कि रेड सैण्ड बोवा सॉप की तस्करी करने का एक गिरोह है जिसका सदस्य शैलेन्द्र यादव, इमरान खान व अरूण सिंह आदि है। इन लोगों द्वारा ही रमाशंकर मौर्या के बैंक खाते में रू0 20 लाख दिया गया और गुन्टूर, चेन्नई भेजा गया था। वहॉ पर कुछ लोग मिले जो बोलेरो गाड़ी से लगभग 05 घण्टा की दूरी पर अन्दर जंगल में गये। वहॉ पर उन लोगों द्वारा एक बैग में यह बहुमूल्य रेड सैण्ड बोवा सॉप इसे दिया गया, जिसे लेकर यह गोरखपुर आया था। इसके पूर्व में भी यह कई बार रेड सैण्ड बोवा सॉप ला चुका है लेकिन लखनऊ पहॅुचते–पहॅुचते यह सॉप मर जाते थे इस लिए इसे यहीं फेक देता था। इस सॉप का प्रयोग तंत्र–मंत्र व दवा बनाने में किया जाता है। नेपाल के रास्ते चीन तक सॉप की तस्करी होती है।

सॉप के रख–रखाव एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु वन विभाग को सूचित कर दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जा रही है। इस कार्य में शामिल लोगो एवं नेटवर्क की जॉच की जा रही है।

दिनांक 19.09.2023
प्रेस विज्ञप्ति 22/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति (SLSCR) गोष्ठी

श्री विजय कुमार, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में आज दिनांक 19.09.2023 को सिग्नेचर बिल्डिंग, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में राज्य स्तरीय रेलवे सुरक्षा समिति (एसएलएससीआर) की 9वीं त्रैमासिक गोष्ठी संपन्न हुई।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा गोष्ठी के दौरान सभी रेलवे स्टेशनों पर एकीकृत सुरक्षा प्रणाली व निर्भया फंड के तहत अधिक संख्या में सीसीटीवी आदि सुरक्षा उपकरण स्थापित करने व महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ आदि पर विशेष रूप से सीसीटीवी सुरक्षा उपकरण स्थापित किए जाने एवं अन्य आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करने हेतु बल दिया गया।

रेलवे के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु बनाई गई सिक्योरिटी प्लान की समय–समय पर सिक्योरिटी ऑडिट करने पर बल देते हुए महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों की सिक्योरिटी प्लान के अनुसार समय–समय पर मॉक ड्रिल करने तथा पाई जाने वाली कमियों को दूर करने के संबंध में विचार–विमर्श किया गया।

रेलवे/रेल सम्पत्ति को छति पहुँचाने वाली घटनाओं को रोकने के संबंध में आरपीएफ/जीआरपी/जिला पुलिस को आपसी समन्वय से कार्य करने के साथ–साथ रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के संबंध में भी गोष्ठी में विचार विमर्श किया गया।

आतंकवादी घटनाओं, रेलवे ट्रैक को क्षतिग्रस्त करने वाली घटनाओं, मादक द्रव्य/विस्फोटक पदार्थ की आवाजाही, मानव–तस्करी, जाली–मुद्रा/गोल्ड–तस्करी रोकने के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इस प्रकार की घटनाओं की निगरानी कैसे की जाए तथा कैसे रोक लगाई जाए, के संबंध में विचार विमर्श कर, इस हेतु समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सेंसटाइज करने हेतु निर्देश दिया गया।

रेलवे में अपराध की रोकथाम हेतु रेलवे के ठेकेदारी के अधीन कार्य करने वाले अनुबंधित रेल कर्मियों के पुलिस वेरिफिकेशन कराए जाने के संबंध में गहराई से विचार–विमर्श किया गया। रेलवे में अवैध वेंडरों को रोकने तथा वैध वेंडरों की संख्या बढ़ाए जाने तथा महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष रूप से सतर्कता बरतने के संबंध में और अधिक जोर दिया गया।

रेल यात्रियों को जागरूक करने हेतु ट्रेन के कोच की दीवारों, स्टेशन, प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया में स्टिकर, पोस्टर, बैनर, पीए सिस्टम तथा ब्लूटूथ स्पीकर के माध्यम से रेलवे/पुलिस के हेल्पलाइन नंबर एवं यात्रा के समय सावधानी के संबंध में दिये गये निर्देश के प्रचार–प्रसार हेतु विचार–विमर्श किया गया।

अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0/नोडल अधिकारी SLSCR, श्री जय नरायन सिंह द्वारा 8वीं गोष्ठी के एजेण्डा बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही एवं 9वीं गोष्ठी के एजेण्डा बिन्दुओं के सम्बन्ध में समिति में बिन्दुवार विस्तार से रखते हुए CCTV कैमरों एवं बैगेज स्कैनर की संख्या बढ़ाये जाने, महत्वपूर्ण स्टेशनों जैसे अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ पर विशेष रूप से CCTV एवं अन्य सुरक्षा उपकरण स्थापित करनें पर बल दिया गया। छोटे रेलवे स्टेशन/हाल्ट को भी CCTV से आच्छादित करनें हेतु निर्देश दिया गया। महत्वपूर्ण स्टेशनों पर बैगेज स्कैनर की संख्या बढ़ाये जानें की आवश्यकता बतायी गयी। रेलवे स्टेशन के कोच में कैमरा लगाने एवं रेल इंजन के फ्रंट पर कैमरा लगाये जाने हेतु निर्देश दिया गया।

नोडल अधिकारी श्री जय नरायन सिंह द्वारा समस्त रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा हेतु बनाई गयी SOP को समय–समय पर अद्यतन करनें एवं उसके अनुसार मॉक ड्रिल करने पर जोर दिया गया। इनके द्वारा रेलवे पर पत्थरबाजी एवं रेलवे ट्रैक को क्षतिग्रस्त करने की घटनाओं को रोकने हेतु आरपीएफ, सिविल पुलिस एवं जीआरपी को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया।

उक्त गोष्ठी श्री जनार्दन सिंह, ज्वाइंट डायरेक्टर, आई0बी0, श्री मोहित अग्रवाल, अपर पुलिस महानिदेशक, ए.टी.एस., डॉ0 एन. रविन्दर, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0, श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, आई.जी. रेलवे, लखनऊ, श्री तारिक अहमद, प्र0मु0सु0आ0 एनईआर, श्री अम्बिका नाथ मिश्रा, प्र0मु0सु0आ0 एनआर, श्री ए0एन0 सिन्हा प्र0मु0सु0आ0 एनसीआर, श्री प्रदीप गुप्ता, प्र0मु0सु0आ0 डब्लूसीआर, श्री अमरेश कुमार, प्र0मु0सु0आ0 ईसीआर, सुश्री रेनू पुष्कर छिब्बर जीजीएम डीएफसीसीआईएल सिक्योरिटी, श्री आशीष मिश्र, जीएम डीएफसीसीआईएल सिक्योरिटी, श्री अभिषेक यादव, पुलिस अधीक्षक इंटेलिजेन्स, श्री शिवजी सिंह, सहायक निदेशक, आई.बी., श्री अजीत कुमार, सीटीई एनसीआर सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।